**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

IN
ORIGINAL APPLICATION No. 614/2022

IN THE MATTER OF :

Rasesh B. Visssanji & Ors. ------**Applicant**

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ------**Respondents**

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit on behalf of Respondent No. 06, Union of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	1 – 6
2.	**ANNEXURE R6/1** A copy of In-principal/Stage-I letter dated 17.11.2020	7 – 8
3.	**ANNEXURE R6/2** A copy of letter dated 31.12.2022	9 – 15
4.	**ANNEXURE R6/3** A copy of letter dated 25.01.2023	16 – 17
5.	**ANNEXURE R6/4** A copy of letter dated 15.04.2023 along with letter of DFO, Almora & justification of User	18 - 23

	Agency	
6.	**ANNEXURE R6/5** A copy of letter dated 16.05.2023	24
7.	**ANNEXURE R6/6** A copy of letter dated 11.09.2023 along with justification (received on 18.09.2023)	25-28
8.	**ANNEXURE R6/7** A copy of letter dated 04.10.2023	29-30

(RESPONDENT NO. 06)

DEHRADUN:

DATED:

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN
ORIGINAL APPLICATION No. 614/2022

IN THE MATTER OF :

Rasesh B. Visssanji & Ors. **------Applicant**

Versus

State of Uttarakhand & Ors. **------Respondents**

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 06, UNION OF INDIA, MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE.

T RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Gajendra Prakash Narwane S/o Shri Prakash Govindrao Narwane aged about 40 years, presently working as Deputy Inspector General of Forests (DIGF) in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC for short) at Dehradun do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That I am duly authorized and competent to swear this affidavit and as such conversant with the facts of the present case.
2. That I have read and understood the contents of the present Original Application and state that the

(2)

accompanying reply has been drafted under my instructions based on the official records and the same are true and correct. At the outset, I deny all allegations made against the answering respondent except those that are specifically admitted herein.

3. That vide order dated 05.09.2023, the Hon'ble Tribunal impleaded MoEF&CC as Respondent No. 06 and has sought reply/response within one months by way of email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF. In compliance of the above-mentioned directions passed by this Hon'ble Tribunal, the following response/reply by way of affidavit is being submitted for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

STATEMENT OF FACTS

4. It is humbly submitted that the 'land' is a subject matter of State Government. The forest areas and the legal boundaries thereof are determined and maintained by the concerned State Government. That, inter-alia, being the repository of land records, State Government has the primary responsibility to determine status of any parcel of land, giving due regards to Gazette Notifications, provisions under State and Central Acts and concerned judgments and directions of the Hon'ble Supreme Court.

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-2? GOVT. OF UTTARAKHAND

(3)

5. It is submitted that the prior approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 ("FC Act" for short) is required for carrying of any non-forestry activity on forest land.

6. It is most respectfully submitted that a proposal under section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 was received in the Regional Office, MoEF&CC, Dehradun through Additional Secretary, Government of Uttarakhand vide letter No. 481/X-4-15/1(275)/2015 dated 30.06.2015 seeking diversion of 2.43875 ha forest land in favour of PWD, Almora for construction of Chitai to Hari Dutt Petsali Inter Collage motor road.

7. The proposal of State Government was examined by the Regional Office, MoEF&CC, Dehradun under the Forest (Conservation) Act, 1980 and existing guidelines & rules framed thereunder. After examination an Essential Details (EDS) regarding the proposal were sought from the State Government of Uttarakhand from time to time & finally, the proposal had been accorded conditional In-principal/Stage-I approval by the Regional Office, MoEF&CC, Dehradun vide letter No. 8B/UCP/06/125/2015/FC/1765, dated 17.11.2020. A copy of In-principal/Stage-I letter dated 17.11.2020 accorded by the Regional Office, MoEF&CC, Dehradun is annexed herewith as **ANNEXURE R6/1**.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-...
GOVT. OF UTTARAKHAND

(4)

8. That vide letter dated 31.12.2022, the Divisional Forest Officer (D.F.O.) Almora had reported violation of condition of In-principal/Stage-I approval accorded by the Regional Office, MoEF&CC, Dehradun. A copy of letter dated 31.12.2022 of DFO, Almora is annexed herewith as **ANNEXURE R6/2**.

9. That considering the alleged violation in the proposed motor road as reported by the DFO, Almora, the Regional Office, MoEF&CC, Dehradun had suspended construction of proposed motor road and sought a detailed justification (including the name of persons responsible for the alleged violation) from the Additional Principal Conservator of Forest-cum-Nodal Officer (FCA), State Forest Department, Government of Uttarakhand vide letter dated 25.01.2023. A copy of letter dated 25.01.2023 is annexed herewith as **ANNEXURE R6/3**.

10. That, on 15.04.2023, a justification of User Agency (PWD, Almora) submitted to DFO, Almora was forwarded by the Additional Principal Conservator of Forest-cum-Nodal Officer (FCA), State Forest Department, Government of Uttarakhand to the Regional Office, MoEF&CC, Dehradun. The same was perused and it was observed that the forest official, State Forest Department, Government of Uttarakhand has not conducted any enquiry at his own level about the alleged violation in constructing the proposed

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2022 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

motor road in question & merely forwarded the justification of User Agency without any specific comments. A copy of letter dated 15.04.2023 along with letter of DFO, Almora & justification of User Agency are annexed herewith as **ANNEXURE R6/4**.

11. As the matter involves violation of Forest (Conservation) Act, 1980, therefore, the Regional Office, MoEF&CC, Dehradun vide letter dated 16.05.2023 had requested Additional Principal Conservator of Forest-cum-Nodal Officer (FCA), State Forest Department, Government of Uttarakhand to submit a detailed justification in the instant matter. In response of this, the justification of D.F.O., Almora was received through Additional Principal Conservator of Forest-cum-Nodal Officer (FCA), State Forest Department, Government of Uttarakhand on 18.09.2023. The same was scrutinized and found incomplete. Therefore, by letter dated 04.10.2023, essential details on 05 points has been sought by the Regional Office, MoEF&CC, Dehradun from State Forest Department, Government of Uttarakhand. Further, it has also been decided that the matter may be discussed in the upcoming Fortnightly Regional Coordination Meeting (FRCM) of Regional Office, MoEF&CC, Dehradun & therefore by letter dated 04.10.2023, the State Government is also requested to direct the concerned User Agency to provide the detail

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-...
GOVT. OF UTTARAKHAND

(6)

justification in the matter before the upcoming FRCM. A copy of letter dated 16.05.2023, justification thereof letter dated 11.09.2023 (received on 18.09.2023) and letter dated 04.10.2023 are annexed herewith as **ANNEXURE R6/5, 6 & 7** respectively.

12. It is therefore humbly requested to this Tribunal that the reply affidavit on behalf of answering respondent (Respondent No. 06) may kindly be taken on record.

13. That the answering respondent reserves its right to file additional affidavit, if required, till pendente lite.

14. That in view of the foregoing submissions, this Hon'ble Tribunal may be pleased to pass such or further orders as it may deem fit in the given circumstances of the case.

उप महानिरीक्षक वन (के०)/DIGF (C)
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय/Integrated Regional Office
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/MoEF&CC
25, सुभाष रोड/25, Subhash Road
देहरादून/Dehradun - 248001

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Dehradun, Uttarakhand on this day 10 of October, 2023 that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and are based on official records, no part of it is false and nothing material is concealed there from.

Sr. No. 9284/2023

DEPONENT

उप महानिरीक्षक वन (के०)/DIGF (C)
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय/Integrated Region...
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्राल...
25, सुभाष रोड/25, Subhas...
देहरादून/Dehradun - 24...

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

This affidavit is sworn before me by
Shri Gajendra Prakash Narwane
who is identified by Shri Adv. Ram Singh Bisht (Reg. No. UK. 527/2014)
at Dehradun on 10/10/2023

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

ANNEXURE R6/1 (7)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 125 / 2015 / एफ0सी0 / 1765 दिनांकः 17 / 11 / 2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :जनपद – अल्मोड़ा में चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली इंटरकालेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–481/X-4-15/1 (275) 2015 दिनांक 30.06.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal FP/UK/ROAD/9220/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.10.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार **जनपद – अल्मोड़ा में चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली इंटरकालेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.88 हे0 अवनत वन भूमि मानिला क0सं0 23 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

   ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **2.43875** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 433 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

10 परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

11 प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौंधों की संख्या बढ़ाएगा।

12 गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

13 एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

14 संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

15 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।

16 केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

17 वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

18 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

19 संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

20 परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

21 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

22 केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

23 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

24 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

25 प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

26 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

27 अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

O/C

(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-
GOVT. OF UTTARAKHAND

O/C

(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

ANNEXURE R6/2

(9)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182 ई–मेल पत्रांक almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 3329 / 12–1, अल्मोड़ा, दिनांक 31 / 12 / 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष, रोड देहरादून।

2041
09/01/2023

विषयः– **चितई पन्त तिराहे से हरिदत्त पेटशाली मोटर मार्ग के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 614/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 के सन्दर्भ में।**

महोदय,

उपरोक्त क्रम में अवगत कराना है कि चितई पन्त तिराहे से हरिदत्त पेटशाली मोटर मार्ग के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 614/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 के अनुपालन के क्रम में 09.11.2022 को विषयांकित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें वन विभाग की ओर से वन क्षेत्राधिकारी, अल्मोड़ा व प्रस्तावक विभाग निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। स्थलीय निरीक्षण के पश्चात वन क्षेत्राधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा मोटर मार्ग निर्माण के लिए जे0सी0बी0 द्वारा कटान किया गया है। मौके पर प्रस्तावक विभाग द्वारा किये गये निर्माण कार्यो में निम्न कमियां पायी गयी।

1. विषयांकित रोड हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को वृक्ष पातन हेतु लौट (छपान सूची) कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 414/9–1(2), दिनांक 20.07.2022 द्वारा लौट संख्या 45/2022 आवंटित किया गया, जिसके क्रम में कार्यालय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 05.08.2021 को प्रस्तावक विभाग को डिमाण्ड नोट भेजा गया था। प्रभागीय लौंगिग प्रबन्धक, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त धनराशि वन निगम को दिनांक 07.11.2022 को प्राप्त हुई, जिसके क्रम में दिनांक 09.11.2022 को उनके द्वारा अपने अधीनस्थ स्टाफ को पातन कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 8265/निविदा–01/2021, दिनांक 27.11.2021 द्वारा विषयांकित रोड कटान इत्यादि हेतु निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में श्री शिवराज सिंह बनौला (कॉण्ट्रैक्टर) से दिनांक 07.05.2022 को कार्य के सम्बन्ध में बॉण्ड किया गया। मौके पर कॉण्ट्रैक्टर द्वारा तत्काल रोड कटान कार्य प्रारम्भ कर दिया गया जबकि वन विकास निगम को वांछित धनराशि दिनांक 07.11.2022 को जमा की गयी। उक्त से स्पष्ट है कि वन विकास निगम को पातन हेतु धनराशि उपलब्ध कराने से काफी पहले ही प्रस्तावक विभाग द्वारा न सिर्फ रोड कटान का टेण्डर किया गया वरन् कॉण्ट्रैक्टर के साथ बॉण्ड भी कर दिया गया, जिससे पश्चात कॉण्ट्रैक्टर द्वारा अवैध तरीके से वृक्षों का पातन किया गया।
3. वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत होने के बाद Linear प्रस्तावों में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है किन्तु प्रस्तावक विभाग द्वारा न तो कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति मांगी गयी है और न ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोई अनुमति दी गयी।
4. विषयांकित मोटर रोड हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति आपके द्वारा दिनांक 17.11.2020 द्वारा निर्गत की गयी है। जबकि कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 7624/204/सी0–01/2021, दिनांक 22.10.2021 के अनुसार समरेखण को पुनरीक्षित किया गया है अर्थात सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के 11 महिने के पश्चात प्रस्तावक विभाग द्वारा समरेखण में परिवर्तन किया गया और उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी। सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दु संख्या 16 के अनुसार "**केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का**

वन०अ० (प्र०)
09/01/23

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(04)2002
10-12-22 to 09-12-...
GOVT. OF UTTARAKHAND

ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा'', किन्तु उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा ले–आउट प्लान बदला गया है और भारत सरकार से कोई पूर्वानुमति नहीं ली गयी है। जो कि स्पष्ट रूप से सैद्धांतिक स्वीकृती में दी गयी शर्तों का उल्लंघन है।

उक्त क्रम में राजस्व विभाग द्वारा मोटर मार्ग निमार्ण के सम्बन्ध में अपनी जॉच आख्या भी इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि चितई मुन्योली पेटशाल लिंक मोटर मार्ग में ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी तथा मुन्योली की भूमि सम्मलित है। उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी है तथा वर्तमान में कुल 2.50 किमी सड़क काटी जा चुकी है। उनके द्वारा जॉच में पाया गया कि ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी में काटी गयी सड़क लो0नि0वि0 द्वारा बनाये गये संरेखण के अनुरूप काटी गयी है किन्तु ग्राम मुन्योली में संरेखण के अनुरूप नही है। जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा उनको अवगत करया गया कि संरेखण परिवर्तन के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता लो0नि.वि0 अल्मोड़ा द्वारा प्राप्त कर ही कार्य किया गया है। संरेखण में दिखाई गयी सड़क तथा मौके पर काटी गयी सड़क में लगभग 1.5 किमी0 का अन्तर पाया गया।

अतः उक्त क्रम में आपसे अनुरोध है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान बिना भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये संरेखण परिवर्तन किये जाने तथा वन निगम द्वारा वृक्षों के पातन किये जाने से पूर्व ही स्वयं के स्तर से जे0सी0बी0 द्वारा वृक्षों को गिराने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक मार्ग दर्शन करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

पत्रांक 3329 / 12–1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
5. जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।
6. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.15(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

प्राप्त 20-12-2022

(11)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

Email- eecdalmorapwd@rediffmail.com

पंत्राक 3969 /3सी0 (व0भू0) दिनांक – 17 /12/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

विषयः– **चितई पन्त तिराहे से हरिदत्त पेटशाली मोटर मार्ग के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 614/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **आपका पंत्राक 2902/12–1 अल्मोड़ा दिंनाक 05/12/2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतं कराना है कि वन क्षेत्राधिकारी, अल्मोड़ा वन क्षेत्र, अल्मोड़ा के पंत्राक 495/12–1, दिनांक 29/09/2022 द्वारा विषयक मोटर मार्ग में वृक्षों के पातन सम्बधी अवगत कराया गया है। उक्त के क्रम मेंअद्योहस्ताक्षरी के पंत्राक 3336/अनु0 दिंनाक 31/10/2022 द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार (श्री शिवराज सिंह बनौला, जाखन देवी, अल्मोड़ा) को अनुबन्ध की शर्तों, G.C.C./ P.C.C -63, Technical Specifications पैरा 4, Special Conditions for Construction of Hill Roads के पैरा 1 (A) व Schedule "B" की शर्त पैरा 3 के अनुरूप समस्त पर्यावरण एवं वन अधिनियमों के पालन हेतु निर्देशित किया गया था। इसके उपरान्त वन क्षेत्राधिकारी, अल्मोड़ा वन क्षेत्र, अल्मोड़ा के पत्र संख्या 702/12.1 दिनांक 03/11/2022 का पुनः संज्ञान लेते हुए इस कार्यालय के पंत्राक 3412/अनु0 दिनांक 07/11/22 से सम्बन्धित ठेकेदार को पुनः वन नियमों के अनुपालन हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 614/2022 में पारित आदेश दिनांक 23/09/2022 के क्रम में दिनांक 09/11/2022 को हुए संयुक्त निरिक्षण के क्रम में आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लेख किए गऐ बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है।

1–विषयक मोटर मार्ग को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, देहरादून के पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/125/2015/एफ0सी0/1765 दिंनाक 17/11/2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा चालान संख्या 68/दिंनाक 16/03/2021 द्वाराक्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य की सम्पर्ण धनराशी रू0 3247717.00 दिंनाक 16/03/2021 को जमा करा दी गयी थी।

महोदय वर्तमान तक विषयक मोटर मार्ग लगभग 2.50 कि0मी0 लम्बाई में सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ग्राम चितई पंत एवं चितई तिवारी की नाप भूमि में स्थानीय ग्रामीणों/भूस्वामीयों के अनुरोध

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No. 19(01)2002 10-12-22 to 09-12-... GOVT. OF UTTARAKHAND

क्रमशः पेज नं0 2.................

(12)

(2)

पर निर्माण सामाग्री के आवागमन तथा मार्ग में प्रस्तावित मक–डम्पिंग स्थलों के निर्माण हेतु अतिआवश्यक ट्रेस–कट कार्य किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान ठेकेदार द्वारा नाप भूमि में प्रभावित कुछ चीड़ के वृक्षों को सम्बन्धित ग्रामीणों/भूस्वामियों की सहमति से गिराया गया व अन्य वृक्ष विगत वर्षा काल में भूमि कटाव के कारण स्वतः ही गिर गए। उक्त समस्त वृक्षों को सम्बन्धित भूस्वामीयों की सूपुर्दगी में रखा गया है। सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य न करने के सम्बन्ध में दिए गऐ पत्रों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित ठेकेदार को कार्य, नियमों के अनुरूप करने हेतु निर्देशित किया गया एवं विगत कई माह से कार्य पूर्ण रूप से बन्द किया जा चुका है। अतः ग्राम चितई पंत एंव चितई तिवारी की नाप भूमि में गिराऐ वृक्षों के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि वन निगम के साथ संयुक्त निरीक्षण कर लिया जाये एवं मलुवे में दबे हुऐ वृक्षों के कारण यदि वन निगम को लौट ग्रहण करने में कठिनाई होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा की जा सकती है। महोदय इस सम्बन्ध में पुनः यह स्पष्ट करना है कि लो0नि0वि0 के ठेकेदार द्वारा विषयक मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली आरक्षित वन भूमि पर किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। मोटर मार्ग में ग्राम चितई पंत एंव चितई तिवारी में सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा स्थानीय ग्रामीणों एंव जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर, नियमों की पूर्ण जानकारी न होने के कारण भूलवश आंशिक ट्रेस–कट का कार्य किया गया, जिसकी पुर्नरावृत्ति नहीं की जाऐगी एंव इस सम्बन्ध में आपके अथवा राज्य सरकार द्वारा दिऐ गऐ निर्देशों/नियमों का अनुपालन करने हेतु लो0नि0वि0 वचनबद्ध है।

2–कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 8255/निविदा–01/2021 दिनांक 27.11.2021 द्वारा विषयांकित मोटर मार्ग हेतु निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके कम में श्री शिवराज सिंह बनौला (ठेकेदार) के नाम दिनांक 07.05.2022 को इस शर्त के साथ अनुबन्ध गठित किया गया कि ***"माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत समस्त प्रकार की भूमि अर्थात् वन पंचायत, वन भूमि, आरक्षित वन, नाप, बेनाप भूमि इत्यादि के खनन पर/कटान पर रोक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों/वन अधिनियम की किसी प्रकार की अवहेलना की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।"*** वन विभाग द्वारा विषयांकित मोटर मार्ग में पड़ रहे वृक्षों के कटान हेतु छपान (घन) की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई थी।

उक्त मोटर मार्ग लगभग 2.50 कि0मी0 लम्बाई में सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा स्थानीय ग्रामीणों/भूस्वामीयों की नाप भूमि पर निर्माण सामाग्री के आवागमन तथा मार्ग में प्रस्तावित मक–डम्पिंग स्थलों के निर्माण हेतु अति आवश्यक ट्रेस–कट कार्य किया गया। ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित नाप भूमि में प्रभावित कुछ चीड़ के वृक्षों को सम्बन्धित ग्रामीणों/भूस्वामियों की सहमति से गिराया गया व अन्य वृक्ष विगत वर्ष हुई अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि कटाव होने से स्वतः ही गिर गए। उक्त समस्त वृक्षों को सम्बन्धित भूस्वामीयों की सूपुर्दगी में रखा गया है। सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य न करने के सम्बन्ध में दिए गऐ पत्रों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार को तुरन्त कार्य बन्द करने हेतु निर्देशित किया गया है।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-...
GOVT. OF UTTARAKHAND

कमशः पेज नं0 3...................

जिसके कम में ठेकेदार द्वारा अपने पत्रांक शून्य दि0 30.11.22 द्वारा अवगत कराया गया है कि मलुवा निस्तारण करने एवं गैवियन्स का निर्माण करने हेतु कम चौड़ाई में ट्रैसकट का कार्य माह जून, 2022 में ही कर लिया गया था, जिस कारण कुछ छपान किये गये पेड़ गिर गये थे, साथ ही कुछ पेड़ बरसात में स्वयं गिर गये। गिरे हुए पेड़ों को ठेकेदार द्वारा मार्ग के किनारे पर सुरक्षित इकट्ठा कर दिया गया था। वर्तमान में भी कार्यस्थल पर कार्य बन्द है तथा वन विकास निगम द्वारा छपान/गिरे हुए पेड़ों का कटान एवं ढुलान का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में कटान एवं ढुलान हेतु वांछित धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण दिनांक 07.11.2022 को वांछित धनराशि वन विकास निगम के पक्ष में जमा की गई।

उक्त मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 3414/3सी0व0भू0 दि0 07.11.2022 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। इस प्रकार विभाग द्वारा सभी शर्तों का पालन किया गया है।

3—महोदय विषयक मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/125/2015/एफ0सी0/1765 दिंनाक 17/11/2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दी जा चुकी है एंव शर्तों के अनुपालन में लो0नि0वि द्वारा दिंनाक 16/03/2021 को ही क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य के समस्त देयकों का भुगतान किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में यह पुनः स्पष्ट करना है कि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा बिना सक्षम स्तर की अनुमति के, मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले आरक्षित वन क्षेत्र में कार्य नहीं किया गया है। अतः इस पत्र के माध्यम से आपसे, भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार 1 वर्ष की अवधि अथवा विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने तक वन क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति का अनुरोध किया जा रहा है। कृपया जनहित में कार्य की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, यदि इस हेतु लो0नि0वि0 के स्तर से कोई अन्य कार्यवाही अपेक्षित हो तो उस सम्बन्ध में अवगत कराने की कृपा करें साथ ही महोदय को अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 3414/3सी0व0भू0 दि0 07.11.2022 द्वारा प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है।

4. विषयक मोटर मार्ग के ले—आउट के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग की नापभूमि में, कतिपय स्थानीय ग्रामीणों के असहमति के कारणवश, ले—आउट के नाप भमि वाले भाग में आंशिक रूप से जिला प्रशासन के पर्यवेक्षण में सहायक अभियंता द्वारा, संशोधन प्रस्तावित किऐ गऐ, जिसकी अनुमति विभागीय सक्षम अधिकारी, अधीक्षण अभियंता, प्रथम वृत्त लो0नि0वि0, अल्मोड़ा से ली गई है। उपरोक्त संशोधित ले—आउट के कारण मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों की संख्या में वृद्धि संभावित नहीं है। चूंकि इस संशोधित ले—आउट में आरक्षित वन भूमि सम्मल्लित नहीं थी इसलिए इस सम्बन्ध में भारत सरकार की पूर्व अनुमति हेतु आवेदन नहीं किया गया। यदि उपरोक्तानुसार नाप भूमि में संशोधन हेतु यदि भारत सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता हो तो, आपसे अनुरोध है कि इस आपेक्षित कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन करने की कृपा करें।

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-... GOVT. OF UTTARAKHAND

कमशः पेज नं0 4....................

(14)

(4)

5. विषयक मार्ग में प्रस्तावित डम्पिंग जोन के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि क्षेत्र की आवश्यकतानुसार मक–डिस्पोजल हेतु गैवियन्स/दीवार का निमार्ण किया गया है एंव इस हेतु यह भी उचित होगा की मोटर मार्ग का पुनः आपके अधीन अधिकारियों/कार्मिकों के साथ संयुक्त निरीक्षण करवा कर यदि अतिरिक्त डम्पिंग जोन/दीवार निमार्ण की आवश्यकता हो तो इस सम्बन्ध में अवगत कराने की कृपा करें, ताकि भविष्य में विषयक मोटर मार्ग के निमार्ण में मलवे से होने वाली क्षति को अति–न्यून किया जा सके।

अतः आख्या सादर प्रेषित।

16.12.22

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

पंत्राक /3सी0 (व0भू0) तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्न को सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
4. जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
6. वन क्षेत्राधिकारी, अल्मोड़ा।

6554
12-1(2)
20-12-2022

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

(15)

निरीक्षण आख्यां– (चितई मुन्योली पेटशाल लिंक मोटर मार्ग)

उपरोक्त प्रकरण में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदुषण नियत्रण बोर्ड के पंत्राक संख्या UKPCB/ROH/रिट/22/1992–761 दिनांक 3.11.2022 के कम में माननीय राष्ट्रीय अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 614/2022 Rasesh B Vissanji &Ors बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 के अनुपालन में चितई मुन्योली पेटशाल राष्ट्रीय राजमार्ग में पेड की अवैध कटाई के संम्बन्ध दिनांक 9.11.2022 को अपराह्न 01 बजे स्थलीय निरीक्षण प्रस्तावित है। उक्त के क्रम में राजस्व विभाग से सम्बन्धित जांच आख्यां निम्नवत है–

उक्त चितई मुन्योली पेटशाल लिंक मोटर मार्ग में ग्राम चितई पंत, चितई तिवाडी तथा मुन्योली की भूमि सम्मिलित है उक्त लिंक मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 6 किमी है तथा वर्तमान में कुल 2.500 किमी सड़क काटी जा चुकी है, जॉच में पाया गया कि ग्राम चितई पंत, चितई तिवाडी में काटी गयी सड़क लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये संरेखण के अनुरूप काटी गयी है, किन्तु ग्राम मुन्योली में काटी गयी सड़क संरेखण के अनुरूप नहीं काटी गयी है लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया की उक्त संरेखण में परिवर्तन अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा की संस्तुति के आधार पर किया गया है उक्त संस्तुति पत्र की जॉच/सत्यापित प्रति लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित है। **उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 149/विविध पत्रा0–वै0सहा0/2021–22 दिनांक 20.12.2022 को आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्राचार किया गया था, जिसके कम में अधिशासी अभियन्ता निमार्ण खण्ड द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 4023/1 सी0 दिनांक 21.12.2022 को विभाग द्वारा अनुमोदित समरेखन के संबंध में आख्या मय प्रपत्रो सहित उपलब्ध करायी गयी है जो संलग्न है** संरेखण में दिखायी गयी सड़क तथा मौके पर काटी गयी सड़क में लगभग 1.5 किमी का अन्तर पाया गया मौके पर काटी गयी सड़क अन्तर्गत गैर ज0वि0 खाता खतौनी सं0 25 श्रेणी 9(3)ड़ जो की ब0का0आ0 में दर्ज है की कुल 0.408 है0 भूमि तथा श्रेणी 4 (संक्रमणीय पट्टेदारों की भूमि) की कुल 0.120 है0 भूमि सम्मिलित हैं, उपरोक्त काटी गयी सड़क में श्रेणी 1 की कुल 0.345 है0 भूमि सम्मिलित है, इस प्रकार ग्राम मुन्योली में संरेखण के विपरीत काटी गयी सड़क में कुल नाप भूमि (श्रेणी 4 तथा श्रेणी 1क) की 0.465 है0 भूमि तथा कुल 0.408 है0 राज्य सरकार (ब0का0आ0) की भूमि सम्मिलित है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया की सड़क निर्माण हेतु राज्य सरकार की भूमि को सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार की सैद्वातिंक स्वीकृति प्राप्त है (स्वीकृति की प्रति संलग्न है) नाप भूमि को सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाने हेतु खातेदारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लोक निर्माण विभाग द्वारा लिया गया है वर्तमान में काटी गयी सड़क निर्माण में वन विभाग के अनुसार कुल 188 चीड़ के वृक्ष काटे गये है, जिसकी सैद्धांतिक संस्तुति वन विभाग द्वारा दी गयी है के संबंध में वन विभाग से जॉच अपेक्षित है। उपरोक्त जॉच में लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संरेखण Alignment को आधार बनाया है। खातेदारो का खसरा मूल में संलग्न है।

संलग्न–यथोक्त।

(नेहा वर्मा) (खुशबु पाण्डे) (गोपाल सिह चौहान)

NOTARY Rajendra Singh Negi Advocate Dehradun District Reg. No. 13/09/2002 10-12-22 to 09-12-2? GOVT. OF UTTARAKHAND

ANNEXURE R6/3

(18)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/125/2015/एफ0सी0/1449 दिनांकः 25/01/2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : जनपद – अल्मोड़ा में चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कॉलेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875 है0 वन भूमि का लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन। **(online no. FP/UK/ROAD/9220/2015)**

सन्दर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 3329/12–1, अल्मोड़ा, दिनांक **31-12-2022**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 17.11.2020 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रभागीय वनाधिकारी के संदर्भित पत्र द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव में हुए उल्लंघन की सूचना दी गई है। प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि ओ.ए. संख्या 614/2022 माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली के समक्ष चितई मंजोली पेटशाल एनएच के प्रस्तावित 6 किलोमीटर के निर्माण हेतु जेसीबी का उपयोग करके वृक्षों की अवैध कटाई के संबंध में दायर किया गया है। प्रकरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/9220/2015 से संबंधित है जिसे इस कार्यालय द्वारा दिनांक 17.11.2020 को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड किए गए प्रस्तावित संरेखण के केएमएल पर जमीनी स्तर पर किए गए कार्य को देखते हुए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना संरेखण में बदलाव दिखाई दे रहा है। अतः **सैद्धान्तिक स्वीकृति की मंजूरी को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है। अतः अमुख प्रस्ताव में केन्द्र सरकार की मंजूरी के बगैर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा।**

राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह निम्नानुसार दस्तावेज़/ जानकारी/ स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें :–

1. Guidelines के दिशानिर्देश पैरा 1.21 के दृष्टिगत राज्य सरकार संरेखण में दिखाई दे रहे बदलाव में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम की की सूची प्रेषित करने का कष्ट करें।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-2?
GOVT. OF UTTARAKHAND

(17)

2. संरेखण में परिवर्तन हेतु संशोधित प्रस्ताव भी इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि मार्ग काटने का काम स्टेज–2 की मंजूरी या प्रभागीय वनाधिकारी से कोई कार्य अनुमति लिए बिना शुरू किया गया था। यह भी बताया गया है कि समरेखण में बदलाव को पीडब्ल्यूडी ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी द्वारा ठेकेदार को जारी विभिन्न अनुमतियों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय,

o/c

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

o/c

25.01.2023
(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

ANNEXURE R6/4

(18)

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

संख्याः— 2374 / FP/UK/ROAD/9220/2015 देहरादूनः दिनांकः 15 अप्रैल, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

डायरी सं. 80 दिनांक 24/04/2023

विषयः— जनपद अल्मोड़ा में चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कॉलेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8B/UCP/06/125/2015/FC/1449 दिनांक 25.01.2023

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 25.01.2023** के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 4834/12—1 (2) दिनांक 28.03.2023 एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा 978/3सी (कोर्ट केश) दिनांक 23.03.2023 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

15/4/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या / FP/UK/ROAD/9220/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उनके पत्रांक 4834/12—1 (2) दिनांक 28.03.2023 के क्रम में।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

वन नि.०.(४७)

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(04)2002
10-12-22 to 09-12-24
GOVT. OF UTTARAKHAND

(19)

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 4834 /12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 28-3-2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय – **जनपद अल्मोड़ा में चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कॉलेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875 है0 वन भूमि का लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/9220/2015)**

सन्दर्भ – **भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 125 / 2015 / एफ0सी0 / 1449 दिनांक 25.01.2023 व अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 का पत्रांक 978 / 3सी (कोर्ट केश) दिनांक 23.03.2023।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा तीन बिन्दुओं पर आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रस्तावक विभाग को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा तीनों ही बिन्दुओं पर विस्तृत आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत कर दी गयी है, जिसे संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उक्त क्रम में आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव के सम्बन्ध में चाही गयी आख्या उच्च स्तर को अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

सं0 अ0 / प्रभारी अल्मोड़ा
आ. का. केन्द्र।
d/c/d

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून 4959
पंजी0 सं0 215
पत्रावली 10-4-23
दिनांक

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

10-4-23

पत्रांक 4834 / 12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

D:\2- data transfer\Land transfer letter 2022.docx

प्राप्त 24-3-2023

(201)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

E-mail-eecdalmorapwd@rediffmail.com

पत्रांकः– 978 /3सी(कोर्ट केस) दिनांक 23/03/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषयः– राज्य योजना के अन्तर्गत चितई पन्त तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में। (Praposal No. FP/UK/Road/9220/2015)

संदर्भः– आपका कार्यालय पत्रांक–3717/12–1 (2) अल्मोड़ा दि0 27.01.2023 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र सं0–8बी/यू0सी0पी0/06/125/2015 /एफ0सी0/1449 दिनांक 25.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से तीन बिन्दुओं पर दस्तावेज/जानकारी/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है, जो निम्नानुसार है–

बिन्दु0 सं0 1– उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार के वन संरक्षक एक्ट 1980 के कॉमन Guidelines के पत्रांक–F NO 11-42-FC दि0 29.01.2018 के तहत पैरा 1.21 का उल्लंघन नहीं किया गया है। उपरोक्त मोटर मार्ग के समरेखन में दिखाई दे रहे बदलाव मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु से 1 किमी0 तक ट्रैसकट/सड़क कटान भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा पूर्व स्वीकृति समरेखन के तहत किया गया है तथा उसके आगे स्थानीय ग्रामीणों द्वारा समरेखन बदलने हेतु विवाद किया गया है।

उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा ने अपने पत्र सं0–1059/विविध पत्रा0 वै0सहा0/2019–20 दि0 22.07.2021 में अंकित विषयक "चितई पेटशाल–मन्योली मोटर मार्ग के निर्माण सर्वे किये जाने के सम्बन्ध में" अवगत कराया गया है कि "उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा द्वारा तहसील अल्मोड़ा के अन्तर्गत चितई–पेटशाल–मन्योली सड़क निर्माण का दि0 05.04.2021 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में प्रधान, ग्राम पंचायत चितई तिवारी, विकासखण्ड हवालबाग, जिला अल्मोड़ा द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विवादित क्षेत्र के विकल्प के तौर पर ग्रामीण जिनके कब्जे/स्वामित्व में यह वैकल्पिक क्षेत्र है, को सड़क निर्माण हेतु देने को तैयार हैं। उक्त सड़क निर्माण कार्य का सर्वे कर निर्माण कार्य शुरू कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः पत्र की प्रति आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में सर्वे कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे "(संलग्नक–1)।

उक्त मार्ग पर श्री राशेश भरत विसंजी पुत्र श्री भरत विसंजी ग्राम चितई पन्त जिला अल्मोड़ा द्वारा दि0 05.06.2021 को मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डी0) अल्मोड़ा में विषयक मार्ग के पूर्व स्वीकृत समरेखन को, अपनी निजी भूमि से बदलने हेतु वाद सं0–11/2021 दायर किया गया (संलग्नक–2)। जिस कारण समरेखन में आंशिक बदलाव नाप भूमि में किया गया है जो कि पुनः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा स्वीकृत समरेखन से जोड़ दिया गया है। संशोधित समरेखन पूर्ण रूप से ग्रामीणों की नापभूमि में किया गया है। वनभूमि में समरेखन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

Letter 2022

पत्रांक सं० 9709 12–1(2)
दिनांक 24-3-2023
लिपिक कृपया अवलोकनार्थ
कार्यवाही शीघ्र करें।

उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्र सं0–1057/विविध पत्रा0–वै0सहा0 /2019–20 दि0 01.07.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि "जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा द्वारा तहसील अल्मोड़ा अन्तर्गत चितई–पेटशाल–मन्योली सड़क निर्माण का संयुक्त निरीक्षण कर संयुक्त जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिलाधिकारी, महोदय अल्मोड़ा द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में उपजिलाधिकारी द्वारा तहसील अल्मोड़ा के अन्तर्गत चितई–पेटशाल–मन्योली सड़क निर्माण का संयुक्त निरीक्षण हेतु दि0 05.07.2021 की तिथि नियत की जाती है।" (संलग्नक–3)

उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा के निर्देश के कम में तहसीलदार अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक–1710/वि0/2020–21 दि0 09.07.2021 द्वारा दि0 05.07.2021 को संयुक्त निरीक्षण आख्या उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा को प्रेषित की गयी। जिसमें लोक निर्माण विभाग के मौके पर उपस्थित अधिकारियों से उक्त मोटर मार्ग के पुनः सर्वेक्षण के लिए कहा गया है " (संलग्नक–4)।

समस्त ग्रामीण मन्योली, पताल देवी द्वारा दिनांक 06.08.2021 को चितईपंत तिराहे से पेटशाल लिंक मोटर मार्ग का समरेखन विवादित क्षेत्र से बदल कर, निर्माण प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके कम में जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक–495/चौबीस–LAC/20–21 दि0 16.08.2021 द्वारा प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उपजिलाधिकारी सदर अल्मोड़ा को निर्देशित किया गया, तत्पश्चात उपजिलाधिकारी सदर अल्मोड़ा के पृष्ठांकन संख्या 2282/वि0/2020–21 दिनाक 17.08.2021 द्वारा प्रकरण में तहसीलदार अल्मोडा एवं अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेर्शित किया गया (संलग्नक–5)।

प्रधान ग्राम पंचायत चितई तिवारी, जिला अल्मोड़ा एवं समस्त ग्रामवासियों के पत्र दि0 08.09.2021 (संलग्नक–6) द्वारा तत्कालीन मा0 उपाध्यक्ष विधानसभा, उत्तराखण्ड श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी से विषयक मार्ग निर्माण हेतु अवगत कराया गया है कि पूर्व समरेखन में वाद व विवाद होने के फलस्वरुप राजस्व विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में उक्त मार्ग के समरेखन में परिवर्तन कर दिया गया है, जिसका प्रस्ताव, ग्राम सभा की आम बैठक में सर्वसहमति से पारित किया गया है तथा उक्त सर्वे परिवर्तन के अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु लो0नि0वि0 अल्मोडा को निदेर्शित करने की कृपा करे, जिसके कम में तत्कालीन मा0 उपाध्यक्ष विधानसभा, उत्तराखण्ड श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी द्वारा अपने पत्र सं0–1863 मा0उपा0/वि0स0 देहरादून, उत्तराखण्ड दि0 09.09.2021 के कम में चितई–पेटशाल–मन्योली मोटर मार्ग के पूर्व सर्वे कार्य में आंशिक परिवर्तन करने हेतु निर्देशित किया गया (संलग्नक–7)।

मा0न्यायालय सिविल जज जू0डि0 अल्मोड़ा द्वारा दीवानी वाद सं0–11/2021 श्री राशेश भरत विसंजी पुत्र श्री भरत विसंजी बनाम उत्तराखण्ड सरकार व अन्य के सम्बन्ध में दि0 04.03.2022 को आदेश पारित किया गया। जिसमें प्रतिवादी विभाग द्वारा लिखित तौर पर अभिकथन कर दिया गया है कि उनके द्वारा मोटर मार्ग का नया एलाइन्मेंट तैयार कर लिया गया। जिससे वादी की भूमि में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। अतः वाद निस्तारित की जाती है (संलग्नक–8)।

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा एवं उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा के निर्देशों के कम में संसोधित पुनरीक्षित समरेखन प्रस्ताव हेतु राजस्व उपनिरीक्षक चितई की उपस्थिति में सर्वे कार्य पूर्ण करते हुए संसोधित पुनरीक्षित संरेखन प्रस्ताव गठित किया गया। जिसका अनुमोदन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक–7624/204सी0–01/2021 दि0 22.10.2021 द्वारा किया गया (संलग्नक–9)।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-2027
GOVT. OF UTTARAKHAND

(22)

पूर्व अनुमोदित संरेखण में परिवर्तन गैर वनभूमि पर ही किया गया है जिसकी पुष्टि माननीय एन0जी0टी0 द्वारा गठित जॉच समिति के स्थलीय निरीक्षण आख्या दि0 09.11.2022 के द्वारा भी की गयी है (संलग्नक–10)।

संसोधित पुनरीक्षित समरेखण केवल नाप भूमि में किया गया है। वन क्षेत्र में संरेखन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जिस हेतु ग्रामीणों की सहमति प्राप्त है (संलग्नक–11)। संसोधित पुनरीक्षित समरेखण में पूर्व अनुमोदित संरेखन की तुलना में कम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। संशोधित समरेखन में चितई पन्त, चितई तिवारी, चितई बाड़ी, पातालदेव आदि ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं।

सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन करते हुए विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक–3414/3सी0 व0भू0 दि0 07.11.2022 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को आनलाईन प्रेषित किया गया है (संलग्नक–12)। अल्मोड़ा–घाट (राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 बी के चितई से पेटशाल विशेषकर कालीधार नामक स्थान पर मार्ग का ग्रेड चौड़ाई, कर्व आदि अत्यधिक खराब होने के कारण विगत 15 वर्ष में हीं मार्ग दुर्घटना के कारण लगभग 50 से ज्यादा मौते हो चुकी हैं। (समाचार पत्रों की छायाप्रति संलग्नक–13) यदि चितई पन्त तिराहे से पेटशाल तक नये मार्ग का निर्माण किया जाता है तो इस मार्ग के निर्माण के पश्चात् इस प्रभाग में एक वैकल्पिक मार्ग प्राप्त होगा। जिससे यात्रियों को सुविधा प्राप्त होने के साथ–साथ सुरक्षित यातायात की सुविधा प्राप्त होगी।

जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पन्त तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक/लिंक मोटर मार्ग एक महत्वपूर्ण मोटर मार्ग है। जिस हेतु ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा अतिशीघ्र मार्ग निर्माण हेतु निरन्तर निवेदन किया जा रहा है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम चितईपन्त, चितई तिवारी, मन्योली, पूनाकोट, पेटशालबाड़ी, पातालदेव आदि ग्रामवासियों को शिक्षा, चिकित्सा एवं कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा एवं पलायन भी रूकेगा।

श्री राशेश बी विशनजी एवं अन्य द्वारा दि0 17.05.2022 को चितई–मन्योली पेटशाल मोटर मार्ग के कार्य को रूकवाये जाने व मार्ग की जॉच करवाये जाने बावत् चेयरमैन राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को एक प्रार्थना–पत्र प्रेषित किया गया था। जिसका संज्ञान लेते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दि0 06.01.2023 को आदेश पारित किया गया। जिसके बिन्दु सं0–8 में "in their reply/response the respondents shall give requisite details regarding action plan formulated for compensatory afforestation, budgetary provisions made, the species to be planted, particulars of land selected for afforestation, specifie timeline for said plantation and steps to be taken for protection of the trees planted and also for their maintenance for ensuring survival thereof." को दो महिने में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये गये हैं। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा भी Guidelines के दिशा निर्देश पैरा 1.21 का उल्लंघन नहीं माना गया है (संलग्नक–14)।

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा एवं उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा के निर्देशानुसार एवं ग्रामीणों/जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–309 बी में अत्यधिक दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए केवल नाप भूमि में आंशिक परिवर्तन कर संसोधित पुनरीक्षित समरेखण प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। समरेखन में आंशिक परिवर्तन जन भावनाओं एवं सड़क के महत्व को देखते हुए गैर वनभूमि में किया गया है। इसमें विभाग का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नही है।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19/05/2002
10-12-22 to 09-12-
GOVT. OF UTTARAKHAND

Letter 2022

(23)

बिन्दु सं0 2– उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समरेखन में परिवर्तन हेतु संशोधित प्रस्ताव संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक–15)।

बिन्दु सं0 3– :उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ठेकेदार को जारी विभिन्न अनुमतियों की प्रति संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक–16)।

अतः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून से सादर अनुरोध है कि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा एवं उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा के निर्देशानुसार एवं ग्रामीणों/जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–309 बी में अत्यधिक दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विषयक मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति पर स्थगन आदेश को निरस्त करने की सस्तुति करते हुए मार्ग निर्माण की मंजूरी प्रदान करने की कृपा करें ताकि अतिशीघ्र सड़क का निर्माण किया जा सके एवं क्षेत्रीय जनता को सड़क मार्ग का लाभ पहुंचाया जा सकें।

21.3.23

(इं0 आशुतोष कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रतिलिपि–भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

ANNEXURE R6/5 (24)

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Integrated Regional Office, Dehradun

सत्यमेव जयते

प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ईमेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./**06/125/2015/**एफ.सी. | 165 दिनांक:**16/05/2023**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- जनपद - अल्मोड़ा में चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली इण्टर का◌ॅलेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875 है0 वन भूमि का लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. **FP/UK/ROAD/9220/2015**)

सन्दर्भः- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2374/FP/UK/ROAD/9220/2015 दिनांक 15.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25-01-2023 द्वारा तीन बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी जिसके जवाब में नोडल कार्यालय तथा संबंधित प्रभागीय वनाधिकरी द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के पत्र को बिना अपने स्तर पर जाँचे मात्र अग्रेषित कर दिया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत सूचना का विश्लेषण करते हुए इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25.01.2023 द्वारा की गई टिप्पणियों का विशिष्ट उत्तर प्रेषित करने का कष्ट करें, तदोपरान्त ही प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

o/c

भवदीय,

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

o/c

16.5.23
(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19(01)2002
10-12-22 to 09-12-2?
GOVT. OF UTTARAKHAND

LiFE
Lifestyle for Environment

ANNEXURE-R6/6 (25)

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

संख्याः– 496 / 12-1 देहरादूनः दिनांकः 11 सितम्बर, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25, सुभाष रोड, देहरादून-248001, डायरी सं0- 916 दिनांक- 18/09/2023

विषयः– जनपद अल्मोड़ा में चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कॉलेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875 है0 वन भूमि का लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/9220/2015)

सन्दर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/125/2015/एफ0सी0/1449 दिनांक 25.01.2023 एवं 08बी/यू0सी0पी0/06/125/2015/ एफ0सी0/185 दिनांक 16.05.2023

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक** 25.01.2023 एवं दिनांक 16.05.2023 के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1017/12–1 (2) दिनांक 23.08.2023 द्वारा बिन्दुवार आख्या प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	बिन्दु संख्या 01 – Guidelines के दिशा–निर्देश पैरा 1.21 के दृष्टिगत राज्य सरकार संरेखण में दिखाई दे रहे बदलाव में की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम की सूची प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया है कि संयुक्त निरीक्षण में यह पाया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा संरेखण परिवर्तन मुख्यतः नाप भूमि में तथा संरेखण परिवर्तन कुल 1.5 कि0मी0 की लम्बाई में किया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार को निर्माण किये जाने हेतु टेण्डर आवंटित किया गया था। जिसमें उनके द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति होने के उपरान्त प्रभाग स्तर से छपान के आदेश के अनुसार छपान कार्य पूर्ण होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर लिया गया था। वन निगम द्वारा मौके पर किये गये निमार्ण कार्य में पातित 162 वृक्षों का निस्तारण कर लिया गया है।
2	बिन्दु संख्या 02 – संरेखण में परिवर्तन हेतु संशोधित प्रस्ताव भी इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा मौके पर किये गये संरेखण परिवर्तन के आधार पर संशोधित प्रस्ताव प्रभागीय कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग में संरेखण परिवर्तन व वास्तविक रूप से मौके पर काटी गयी सड़क के आधार पर संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया है। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में वृक्षों का छपान/पातन कार्य नवीन प्रस्तावित संरेखण के अनुसार ही किया गया है। प्रस्ताव में पूर्व में कुल 794 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे, जिसमें से वन भूमि पर 433 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे। नवीन संरेखण के अनुसार कुल 513 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें से 204 वृक्ष वन भूमि में प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान संरेखण के अनुसार की गयी छपान सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। जिसमें से वन निगम द्वारा 162 वृक्षों की निस्तारण भी कर लिया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में पातन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम रखी गयी है, साथ ही प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रभागीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्नक–01)

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

वन 0 450

18/9/23

(26)

3	**बिन्दु संख्या 03** – प्रभागीय वनाधिकारी की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि मार्ग काटने का काम स्टेज–2 की मंजूरी या प्रभागीय वनाधिकारी से कोई कार्य अनुमति लिए बिना शुरू किया गया था। यह भी बताया गया है कि समरेखण में बदलाव को पी0डब्ल्यू0डी0 ने मंजूरी दे दी है। इस सम्बन्ध में पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा ठेकेदार को जारी विभिन्न अनुमतियों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा ठेकेदार को जारी की गयी विभिन्न अनुमतियों की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (**संलग्नक–02**)

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
11/09/23
(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 496 / 12-1 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-25 GOVT. OF UTTARAKHAND

(27)

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
दूरभाष : 05962.230065, फैक्सः 05962.232182ई—मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 1017 /12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 23-8- 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय — **जनपद अल्मोड़ा में चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कॉलेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875 है0 वन भूमि का लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन।**
(Online No. FP/UK/ROAD/9220/2015)

सन्दर्भ — **भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/125/2015/एफ0सी0/1449 दिनांक 25.01.2023 एवं 08बी/यू0सी0पी0/06/125/2015/ एफ0सी0/185 दिनांक 16.05.2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/125/2015/एफ0सी0/1765 दिनांक 17.11.2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है एवं संदर्भित पत्र के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति स्थगित कर 03 बिन्दुओं पर दस्तावेज/जानकारी/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक 978/3सी(कोर्ट केस) दिनांक 23.03.2023 द्वारा प्रत्युत्तर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 4834/12—1(2) दिनांक 28.03.2023 द्वारा संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया था। इस कार्यालय द्वारा प्रेषित किये गये पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/125/2015/एफ0सी0/185 दिनांक 16.05.2023 द्वारा आपत्ति लगायी गयी थी कि भारत सरकार द्वारा चाही गयी 03 बिन्दुओं पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावक विभाग के पत्र को बिना अपने स्तर से जांचे मात्र अग्रेषित कर दिया गया है, जिसमें पुनः विशिष्ट उत्तर प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 6252/12—1(2) दिनांक 27.06.2023 द्वारा प्रस्तावक विभाग को पुनः 02 बिन्दुओं पर आख्या मांगी गयी, जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक 3702/3सी0वन भूमि0 दिनांक 23.08.2023 द्वारा इस कार्यालय को आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

भारत सरकार द्वारा 03 बिन्दुओं के क्रम में चाही गयी आख्या निम्नवत है —:

बिन्दु संख्या 01 — Guidelines के दिशा—निर्देश पैरा 1.21 के दृष्टिगत राज्य सरकार संरेखण में दिखाई दे रहे बदलाव में की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम की सूची प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रत्युत्तर — उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि संयुक्त निरीक्षण में यह पाया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा संरेखण परिवर्तन मुख्यतः नाप भूमि में किया गया है, उक्त सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1013/12—1(2) दिनांक 23.08.2023 द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन किये जाने हेतु नोडल कार्यालय देहरादून को पत्र प्रेषित किया गया है। संरेखण परिवर्तन कुल 1.5 कि0मी0 की लम्बाई में किया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार को निर्माण

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-... GOVT. OF UTTARAKHAND

(28)

किये जाने हेतु टेण्डर आवंटित किया गया था, जिसे उनके द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति होने के उपरान्त प्रभाग स्तर से छपान के आदेश के अनुसार छपान कार्य पूर्ण होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर लिया गया था। वन निगम द्वारा मौके पर किये गये निमार्ण कार्य में पातित 162 वृक्षों का निस्तारण कर लिया गया है।

बिन्दु संख्या 02 – संरेखण में परिवर्तन हेतु संशोधित प्रस्ताव भी इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

प्रत्युत्तर – प्रस्तावक विभाग द्वारा मौके पर किये गये संरेखण परिवर्तन के आधार पर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग में संरेखण परिवर्तन व वास्तविक रूप से मौके पर काटी गयी सड़क के आधार पर संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया है। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में वृक्षों का छपान/पातन कार्य नवीन प्रस्तावित संरेखण के अनुसार ही किया गया है। प्रस्ताव में पूर्व में कुल 794 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे, जिसमें से वन भूमि पर 433 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे। नवीन संरेखण के अनुसार कुल 513 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें से 204 वृक्ष वन भूमि में प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान संरेखण के अनुसार की गयी छपान सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। जिसमें से वन निगम द्वारा 162 वृक्षों की निस्तारण भी कर लिया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में पातन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम रखी गयी है, साथ ही प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

बिन्दु संख्या 03 – प्रभागीय वनाधिकारी की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि मार्ग काटने का काम स्टेज–2 की मंजूरी या प्रभागीय वनाधिकारी से कोई कार्य अनुमति लिए बिना शुरू किया गया था। यह भी बताया गया है कि समरेखण में बदलाव को पी0डब्ल्यू0डी0 ने मंजूरी दे दी है। इस सम्बन्ध में पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा ठेकेदार को जारी विभिन्न अनुमतियों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

प्रत्युत्तर – उपरोक्त बिन्दु के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा ठेकेदार को जारी की गयी विभिन्न अनुमतियों की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 1017/12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि मोटर मार्ग की महत्ता के दृष्टिगत आप अपने स्तर से प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति बहाल किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं उच्च स्तर से समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-
GOVT. OF UTTARAKHAND

E:\2- data transfer\Land transfer letter 2022.docx

ANNEXURE R6/7 - (29)

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ईमेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

Nature Protects if She is Protected

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/125/2015/एफ.सी./860 दिनांक 04/10/2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद - अल्मोड़ा में चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कॉलेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875 है0 वन भूमि का लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. **FP/UK/ROAD/9220/2015**)

सन्दर्भ:- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 496/12-1 दिनांक 11.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16-05-2023 का जवाब राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिसके अवलोकन उपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी है, अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नाँकित बिन्दु पर अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. In the revised land schedule, the total forest area remains the same as approved by this office for diversion, i.e., 2.43875 ha. However, earlier, 0.27 ha was proposed in the RF, which is not reflected in the revised land schedule. In the revised land schedule, the area of RF is also indicated as a part of civil soyam land. The State Govt is requested to submit a comparative chart for the earlier approved land schedule and the revised land schedule after the change in alignment.
2. It is not clear whether, after submitting compliance for Stage I approval by the Project Proponent, the concerned DFO has issued the necessary working permission/permission for felling to the Forest Corporation. The State Govt is requested to provide clarification in this regard.
3. A comparative enumeration showing the previously proposed felling and the current enumeration after the change in alignment is required. Furthermore, it is also requested to clarify whether the 162 trees that have already been felled are from forest area or non-forest area.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19/01/2009
10-12-22 to 09-12-24
GOVT. OF UTTARAKHAND

LiFE
Lifestyle for Environment

(30)

4. It is evident from the reply that some part of the civil soyam land was disturbed by the contractor by mistake. The State Govt is requested to provide information regarding any action taken under the provisions of IFA 1927, if applicable.
5. The KML file should show the earlier proposed alignment and the revised alignment with different colors for forest and non-forest areas. The State Govt is requested to submit details of forest and non-forest areas with a proper comparative bar chart for better clarity.

क्योंकि प्रकरण **माननीय एनजीटी के विचाराधीन** है, जिस पर अगले माह सुनवाई होनी है। **राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं पर उत्तर तैयार कर इस कार्यालय में यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का कष्ट करे।** इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में इस कार्यालय द्वारा **आगामी एफआरसीएम में चर्चा** किया जाना सुनिश्चित किया गया है। अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर जानकारी उपलब्ध करने के अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा **एफ0आर0सी0एम0 की बैठक के समक्ष प्रस्तुत जवाब पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण** देने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

o/c

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

o/c

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

Sr. No. 9284/2023
This affidavit is sworn before me by
Shri... Gajendra Prakash Narwane
who is identified by Shri Adv. Ram Singh Bisht (Reg. No. UK. 527/2014)
at Dehradun on.......10/10/2023.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun